भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 214

जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

जन सुरक्षा योजनाएं

214. श्री सचिदानन्दम आर.:
श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तीनों जन सुरक्षा योजनाओं – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत लिंग-वार, राज्य-वार और पीएमजेडीवाई खाता-वार, कुल कितने लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं;

(ख) पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई की शुरुआत से पिछले 10 वर्षों में कुल कितने दावों का निपटान किया गया और कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की लिंग-वार, और जिला-वार, विशेषकर त्रिपुरा में कुल संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा त्रिपुरा में, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों और पीएमजेडीवाई खाताधारकों के बीच पंजीकरण, जागरुकता और सतत भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की लिंग-वार एवं प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की खाता-वार एवं राज्यवार कुल संख्या अनुबंध-I, II, III में दी गई है।

(ख): स्थापना के उपरांत दस साल की अवधि के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत निपटाए गए दावों की कुल संख्या और संवितरित राशि अनुबंध-IV में दी गई है।

(ग): विशेष रूप से त्रिपुरा राज्य में पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की जिलेवार और लिंग-वार कुल संख्या अनुबंध- V, VI, VII में दी गई है।

(घ): जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, नामांकन में सुधार करने और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

i. पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए, बैंकों और स्थानीय अभिशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ बुनियादी स्तर पर विनियमित अभियान चलाए गए।

ii. हाल ही में, दिनांक 01.07.2025 से 31.10.2025 तक देश भर में 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 4 महीने का "वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान" शुरू किया गया था। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए, बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर और यूएलबी पर शिविर आयोजित किए गए, जिससे निवासियों को योजना में नामांकन के लिए सूचना और सहायता प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और भागीदारी में सुधार करना, मौके पर नामांकन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अंतराल को कम करने में मदद करना था। 4 महीने की अभियान अवधि के दौरान, त्रिपुरा राज्य की 1,241-ग्राम पंचायतों में 1,175 शिविर आयोजित किए गए।

iii. राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां (एसएलबीसी)/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियां (यूटीएलबीसी) राज्य स्तर पर पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए बैंकों, सरकारी एजेंसियों, प्रमुख जिला प्रबंधकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और अन्य हितधारकों के बीच प्रयासों का समन्वय करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

iv. वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना वर्ष 2017 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले अभिनव और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 31 मार्च, 2025 तक, देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक सीएफएल औसतन तीन ब्लॉकों को कवर करता है।

v. बैंकिंग सेवा संवितरण प्रणाली में अंतिम छोर तक जुड़ने वाले लगभग 16 लाख बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) का एक मजबूत नेटवर्क भी इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र लोगों को नामांकित कर रहा है।

vi. प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी बैंकों को लक्ष्यों का आबंटन और बैंकों के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा विनियमित अंतरालों पर की जाती है और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक प्रयास किए जाते हैं।

vii. पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लिए निर्बाध नामांकन और दावा प्रेषण के माध्यम से एंड-टू-एंड डिजिटल यात्राओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा तक सस्ती सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने और लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए एक जनसुरक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 11 बीमा कंपनियों को पोर्टल पर शामिल किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जनसुरक्षा पोर्टल (www.jansuraksha.gov.in) इन योजनाओं से संबंधित फॉर्म, नियम, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) आदि सहित सभी प्रासंगिक सामग्री/सूचनाओं को अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में होस्ट करता है।

*****

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 214 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

दिनांक 29.10.2025 तक पीएमजेजेबीवाई के राज्य-वार लिंग-वार संचयी नामांकन						
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**पुरुष की संचयी संख्या (क)**	**महिला की संचयी संख्या (ख)**	**अन्य (कुल) (ग)**	**कुल (घ=क+ख+ग)**	**पीएमजेजेबीवाई के तहत नामांकित पीएमजेडीवाई खाताधारक - संचयी नामांकन ड. [घ में से]**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	51,706	43,034	263	95,003	8,106
2	आंध्र प्रदेश	64,49,735	76,96,699	1,95,34,840	3,36,81,274	28,96,697
3	अरुणाचल प्रदेश	1,24,834	1,37,340	14,299	2,76,473	57,284
4	असम	21,20,423	33,46,186	1,55,521	56,22,130	24,67,879
5	बिहार	59,91,221	1,05,46,864	25,57,854	1,90,95,939	75,54,877
6	चंडीगढ़	98,840	63,954	1,776	1,64,570	33,426
7	छत्तीसगढ	28,18,810	40,86,404	14,64,070	83,69,284	32,80,828
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,08,849	48,292	1,414	1,58,555	34,395
9	दिल्ली	13,93,250	11,91,559	26,289	26,11,098	7,88,788
10	गोवा	2,06,741	1,71,755	1,830	3,80,326	50,438
11	गुजरात	56,14,934	41,54,209	3,61,036	1,01,30,179	29,32,136
12	हरियाणा	27,31,527	23,04,266	1,97,160	52,32,953	14,37,597
13	हिमाचल प्रदेश	6,85,052	5,79,790	76,356	13,41,198	2,92,231
14	जम्मू और कश्मीर	6,70,879	3,90,989	1,38,358	12,00,226	2,00,592
15	झारखंड	30,07,634	46,93,306	7,86,407	84,87,347	38,45,573
16	कर्नाटक	58,61,550	65,51,348	38,73,194	1,62,86,092	30,78,198
17	केरल	14,34,122	16,84,107	13,19,789	44,38,018	6,04,324
18	लद्दाख	28,069	12,430	925	41,424	3,168
19	लक्षद्वीप	4,017	2,646	125	6,788	1,493
20	मध्य प्रदेश	69,61,654	85,17,965	4,40,840	1,59,20,459	64,43,607
21	महाराष्ट्र	87,56,220	91,34,665	3,86,971	1,82,77,856	65,76,339
22	मणिपुर	1,30,363	1,91,770	99,650	4,21,783	99,140
23	मेघालय	2,29,316	3,67,084	15,880	6,12,280	2,17,796
24	मिजोरम	1,84,151	2,04,670	4,812	3,93,633	81,163
25	नगालैंड	1,12,951	1,26,781	4,222	2,43,954	58,092

26	ओडिशा	39,40,717	60,59,466	15,88,648	1,15,88,831	36,97,456
27	पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश	1,11,313	1,44,531	21,429	2,77,273	39,140
28	पंजाब	27,26,962	22,98,259	55,710	50,80,931	8,75,962
29	राजस्थान	61,86,505	66,01,091	19,76,559	1,47,64,155	55,31,489
30	सिक्किम	80,357	77,413	2,843	1,60,613	14,746
31	तमिलनाडु	44,13,272	67,47,190	3,80,450	1,15,40,912	21,87,312
32	तेलंगाना	39,71,632	48,62,187	1,12,537	89,46,356	15,05,564
33	त्रिपुरा	2,84,407	3,04,547	15,116	6,04,070	1,99,026
34	उत्तर प्रदेश	1,40,91,768	1,40,88,441	34,16,120	3,15,96,329	1,14,14,504
35	उत्तराखंड	9,32,086	8,61,513	50,533	18,44,132	4,60,780
36	पश्चिम बंगाल	59,50,282	85,35,108	2,08,163	1,46,93,553	61,73,293
देश का कुल योग		**9,84,66,149**	**11,68,27,859**	**3,92,91,989**	**25,45,85,997**	**7,51,43,439**

स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं *के लिए बैंक और* अभिसरित योजनाओं *के लिए बीमा कंपनियां।*

**अन्य में* सार्वभौम योजनाओं में ग्रामीण सहकारी बैंक *(आरसीबी) और* शहरी सहकारी बैंक *(यूसीबी) का* नामांकन *शामिल है, जिनके लिए* लिंगवार द्विभाजन *उपलब्ध नहीं है।*

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 214 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

दिनांक 29.10.2025 तक पीएमएसबीवाई के राज्य-वार लिंग-वार संचयी नामांकन						
क्र. सं.	राज्य का नाम	पुरुष की संचयी संख्या (क)	महिला की संचयी संख्या (ख)	अन्य (कुल) (ग)	कुल (घ=क+ख+ग)	पीएमजेडीवाई खाताधारक पीएमएसबीवाई के तहत नामांकित - संचयी नामांकन ड. [घ में से]
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	96,034	74,252	15,539	1,85,825	24,277
2	आंध्र प्रदेश	1,45,04,917	1,59,81,277	2,60,27,856	5,65,14,050	57,47,607
3	अरुणाचल प्रदेश	2,42,397	2,48,704	1,780	4,92,881	1,18,327
4	असम	61,33,934	78,32,355	1,68,744	1,41,35,033	73,89,165
5	बिहार	1,56,99,637	2,10,73,135	3,86,676	3,71,59,448	1,72,30,134
6	चंडीगढ़	2,90,466	1,95,829	2,394	4,88,689	95,973
7	छत्तीसगढ	70,39,242	81,39,936	18,71,114	1,70,50,292	67,56,527
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,02,068	84,401	9,790	2,96,259	61,613
9	दिल्ली	38,21,568	30,42,528	11,079	68,75,175	18,91,996
10	गोवा	4,45,162	3,54,247	12,473	8,11,882	93,865
11	गुजरात	1,21,25,220	86,08,816	7,11,526	2,14,45,562	63,07,628
12	हरियाणा	68,99,683	52,87,611	33,851	1,22,21,145	34,58,860
13	हिमाचल प्रदेश	18,50,768	14,31,527	40,582	33,22,877	8,01,670
14	जम्मू और कश्मीर	16,61,294	10,31,234	33,952	27,26,480	5,54,135
15	झारखंड	69,31,740	85,22,299	1,55,500	1,56,09,539	72,95,784
16	कर्नाटक	1,23,99,238	1,26,57,866	2,57,475	2,53,14,579	59,14,630
17	केरल	54,92,605	61,42,839	2,87,720	1,19,23,164	21,00,786
18	लद्दाख	53,819	27,437	173	81,429	5,903
19	लक्षद्वीप	10,281	7,781	12,382	30,444	3,713
20	मध्य प्रदेश	1,81,80,450	1,82,62,023	9,38,887	3,73,81,360	1,58,96,266
21	महाराष्ट्र	2,07,20,055	1,91,46,847	8,01,776	4,06,68,678	1,37,84,149
22	मणिपुर	2,89,836	3,90,730	2,255	6,82,821	2,33,464
23	मेघालय	4,61,990	6,07,669	676	10,70,335	3,88,136
24	मिजोरम	2,85,046	2,97,148	3,165	5,85,359	1,20,011

25	नगालैंड	2,57,268	2,83,629	557	5,41,454	1,34,867
26	ओडिशा	1,07,33,470	1,26,61,549	11,93,175	2,45,88,194	85,89,993
27	पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश	2,63,339	2,99,046	55,892	6,18,277	75,356
28	पंजाब	77,20,620	63,30,222	1,03,711	1,41,54,553	28,95,209
29	राजस्थान	1,47,19,689	1,40,10,558	3,29,931	2,90,60,178	1,30,46,004
30	सिक्किम	1,59,353	1,38,903	1,439	2,99,695	29,948
31	तमिलनाडु	1,14,18,060	1,55,09,900	7,10,964	2,76,38,924	50,60,503
32	तेलंगाना	88,80,281	94,45,194	4,83,356	1,88,08,831	31,97,902
33	त्रिपुरा	7,88,751	6,68,689	3,349	14,60,789	4,68,345
34	उत्तर प्रदेश	4,11,13,901	3,62,74,556	34,72,939	8,08,61,396	3,24,63,807
35	उत्तराखंड	29,86,507	24,58,311	35,845	54,80,663	15,14,232
36	पश्चिम बंगाल	1,62,75,094	2,02,25,257	1,66,886	3,66,67,237	1,76,23,532
देश का कुल योग		**25,11,53,783**	**25,77,54,305**	**3,83,45,409**	**54,72,53,497**	**18,13,74,317**

स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं *के लिए बैंक और* अभिसरित योजनाओं *के लिए बीमा कंपनियां।*

**अन्य में* सार्वभौम योजनाओं में ग्रामीण सहकारी बैंक *(आरसीबी) और* शहरी सहकारी बैंक *(यूसीबी) का* नामांकन *शामिल है, जिनके लिए* लिंगवार द्विभाजन *उपलब्ध नहीं है।*

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

दिनांक 31.10.2025 तक एपीवाई के लिए लिंग-वार राज्य-वार आँकड़े				
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	महिला की संचयी संख्या **(क)**	पुरुष की संचयी संख्या **(ख)**	ट्रांसजेंडर **(ग)** की संचयी संख्या	कुल ग्राहक **(घ=क+ख+ग)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,235	8,495	10	14,740
आंध्र प्रदेश	25,41,999	16,04,028	2,267	41,48,294
अरूणाचल प्रदेश	19,066	20,354	12	39,432
असम	11,56,254	8,48,974	437	20,05,665
बिहार	42,07,233	31,36,344	903	73,44,480
चंडीगढ़	30,842	51,484	54	82,380
छत्तीसगढ	8,23,492	7,65,779	284	15,89,555
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	7,657	35,657	10	43,324
दिल्ली	3,83,417	6,01,388	546	9,85,351
गोवा	45,460	69,951	63	1,15,474
गुजरात	9,32,638	20,18,137	845	29,51,620
हरियाणा	7,14,805	11,44,992	580	18,60,377
हीमाचल प्रदेश	2,40,541	3,71,094	94	6,11,729
जम्मू और कश्मीर	88,639	1,80,934	139	2,69,712
झारखंड	14,37,218	10,54,943	411	24,92,572
कर्नाटक	22,32,536	25,11,762	1,327	47,45,625
केरल	8,75,883	7,48,585	495	16,24,963
लद्दाख	2,543	4,531	12	7,086
लक्षद्वीप	1,311	2,165	6	3,482
मध्य प्रदेश	24,20,072	24,90,653	1,352	49,12,077
महाराष्ट्र	37,34,109	43,05,928	2,365	80,42,402
मणिपुर	39,220	34,809	62	74,091
मेघालय	45,831	38,776	9	84,616
मिजोरम	17,698	15,652	6	33,356
नगालैंड	21,072	21,867	8	42,947

ओडिशा	17,18,688	14,00,711	867	31,20,266
पुदुचेरी	61,978	47,194	66	1,09,238
पंजाब	9,84,644	14,48,524	634	24,33,802
राजस्थान	16,32,730	27,20,575	729	43,54,034
सिक्किम	21,654	24,478	28	46,160
तमिलनाडु	31,02,253	23,25,223	3,128	54,30,604
तेलंगाना	13,74,051	12,43,428	1,410	26,18,889
त्रिपुरा	1,66,574	1,40,473	27	3,07,074
उत्तर प्रदेश	53,45,111	81,91,371	3,935	1,35,40,417
उत्तराखंड	3,45,816	5,45,139	247	8,91,202
पश्चिम बंगाल	36,61,865	27,73,396	1,441	64,36,702
कुल	4,04,41,135	4,29,47,794	24,809	8,34,13,738

डेटा स्रोत:- प्रोटीन सीआरए

टिप्पणी: पीएफआरडीए के पास पीएमजेडीवाई -वार खाता ब्यौरा नहीं रखा जाता

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-IV

दिनांक 29.10.2025 तक दावों के आँकड़े		
योजना का नाम	**कुल दावों की संख्या**	**संचयी दावों की संवितरित राशि (करोड़ में)**
पीएमजेजेबीवाई	**9,91,785**	**19,835.70**
पीएमएसबीवाई	**1,68,429**	**3,345.10**

स्रोत: बैंक और बीमा कंपनियाँ

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-V

दिनांक 29.10.2025 तक पीएमजेजेबीवाई के लिए त्रिपुरा के जिलों के कुल नामांकन का लिंगवार संवितरण						
क्र. सं.	**त्रिपुरा राज्य के जिले**	**पीएमजेजेबीवाई**				
		पुरुष की संचयी संख्या (क)	**महिला की संचयी संख्या (ख)**	**ट्रांसजेंडर की संचयी संख्या (ग)**	**अभिसरित योजनाएँ (घ)**	**संचयी नामांकन (क)+(ख)+(ग)+(घ)**
1	**धलाई**	29,515	31,735	19	0	61,269
2	**गोमती**	31,334	32,530	38	0	63,902
3	**खोवाई**	21,468	22,542	16	0	44,026
4	**उत्तरी त्रिपुरा**	28,356	32,382	51	0	60,789
5	**सिपाहीजाला**	23,375	26,320	18	0	49,713
6	**दक्षिण त्रिपुरा**	45,960	52,934	37	0	98,931
7	**उनाकोटी**	20,415	26,727	21	0	47,163
8	**पश्चिमी त्रिपुरा**	83,984	79,377	110	0	1,63,471
जिले का कुल योग		2,84,407	3,04,547	310	0	5,89,264
अभिसरित योजनाओं का कुल योग		0	0	0	14,806	14,806
त्रिपुरा राज्य कुल		2,84,407	3,04,547	310	14,806	6,04,070
स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं *के लिए बैंक और* अभिसरित योजनाओं *के लिए बीमा कंपनियां।*						
नोट: 1. अभिसरित योजनाओं *के लिए* लिंगवार संवितरण *उपलब्ध नहीं है।* 2. *पीएमजेजेबीवाई की* अभिसरित योजनाओं *के लिए ज़िलेवार* संवितरण *उपलब्ध नहीं है।*						

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 214 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-VI

दिनांक 29.10.2025 तक पीएमएसबीवाई के लिए त्रिपुरा के जिलों के कुल नामांकन का लिंगवार संवितरण						
क्र. सं.	**त्रिपुरा राज्य के जिले**	**पीएमएसबीवाई**				
		पुरुष की संचयी संख्या (क)	**महिला की संचयी संख्या (ख)**	**ट्रांसजेंडर की संचयी संख्या (ग)**	**अभिसरित योजनाएँ(घ)**	**संचयी नामांकन (क)+(ख)+(ग)+(घ)**
1	**धलाई**	71,508	71,324	25	281	1,43,138
2	**गोमती**	75,374	69,845	83	236	1,45,538
3	**खोवाई**	54,259	49,757	59	186	1,04,261
4	**उत्तरी त्रिपुरा**	68,787	69,729	93	643	1,39,252
5	**सिपाहीजाला**	59,741	54,600	25	191	1,14,557
6	**दक्षिण त्रिपुरा**	1,10,825	1,04,418	125	403	2,15,771
7	**उनाकोटी**	56,956	57,093	37	192	1,14,278
8	**पश्चिमी त्रिपुरा**	2,91,301	1,91,923	302	468	4,83,994
जिले का कुल योग		7,88,751	6,68,689	749	0	14,58,189
अभिसरित योजनाओं का कुल योग		0	0	0	2,600	2,600
त्रिपुरा राज्य कुल		7,88,751	6,68,689	749	2,600	14,60,789
स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं *के लिए बैंक और* अभिसरित योजनाओं *के लिए बीमा कंपनियां।*						
नोट: 1. अभिसरित योजनाओं *के लिए* लिंगवार संवितरण *उपलब्ध नहीं है।*						

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 214 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-VII

31 अक्टूबर, 2025 तक त्रिपुरा राज्य के लिए एपीवाई के तहत कुल नामांकन
(ज़िला-वार और लिंग-वार)

क्र. सं.	त्रिपुरा राज्य के जिले	पुरुष की संचयी संख्या (क)	महिला की संचयी संख्या (ख)	ट्रांसजेंडर की संचयी संख्या (ग)	प्रान गणना (क)+(ख)+(ग)
1	पश्चिमी त्रिपुरा	29,643	35,267	8	64,918
2	दक्षिण त्रिपुरा	21,617	27,629	5	49,251
3	गोमती	20,953	23,958	10	44,921
4	सिपाहीजाला	16,897	19,470	-	36,367
5	उत्तरी त्रिपुरा	15,998	19,946	2	35,946
6	खोवाई	14,219	14,164	1	28,384
7	धलाई	10,993	13,577	-	24,570
8	उनाकोटी	10,153	12,563	1	22,717
त्रिपुरा राज्य कुल		**1,40,473**	**1,66,574**	**27**	**3,07,074**